


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
खिवसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत निवासी सुनगडी तहसील बांदीकुई जिला जयपुर
बनाम

पूर्णसिंह पु मंहगासिंह जटसिख निवासी 4 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
किस्म मुकदमा- 13 (ए) प्रकरण संख्या- 80 /2025 जीसीएमएस न. 2026 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हए
24.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पूर्णसिंह को भेजा गया नोटिस स्वयं पर तामील होकर बाद विधिवत तामील प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी बावजूद पर्याप्त सूचना आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी खिवसिंह को भेजा गया नोटिस बाद विधिवत तामील प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत पत्रावली दिनांक लगभग 10 माह से इस न्यायालय में जैरकार है। आज दिनांक तक ना तो प्रार्थी हाजिर आया है ना ही उसका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थिति हुआ है। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (दीनानाथ बबल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्री गंगानगर) </p>	

